

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
(दिनांक 5/6/23)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 193/2023

GCMS NO- _____

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान :- अशोक कुमार बनाम राज0 सरकार

आदेश:-

दिनांक : 5/6/23

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का _____ के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गुन्ती	36, 37, 90 162, 193, 200, 215	सतेश पत्नी रामेश्वर, राजकुमार, अशोक कुमार, उर्मिला कवली, कमलेश, सुमन पि. रामेश्वर	सतेश पत्नी श्रीराम राजकुमार, अशोक कुमार उर्मिला कवली, कमलेश, सुमन पि. रामेश्वर श्रीराम



(सनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

क्रमांक :- राजस्व/2023/23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री अशोक कुमार पुत्र श्रीराम को सूचनार्थ।

दिनांक :- 5/6/23

(सनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)